an>

Tile: Need to take effective measures to curb human trafficking in the country.

श्रीमती कृष्णा राज (शाहजहाँपुर): प्रतिवर्ष हजारों पुरूष, महिलाएं और बच्चे अपने-अपने देश और विदेश में तस्करी के शिकार बन जाते हैं। विश्व का लगभग प्रत्येक देश इस समस्या से जूझ रहा है। वर्ष 2012 की तुलना में 2013 में 10 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी दर्ज की गई जिसका आँकड़ा निरन्तर बढ़ता जा रहा है। विदेशी लोग भारत के विभिन्न राज्यों में आकर गरीब और भोले-भाले लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। उनकी गरीबी का फायदा उठाकर उन्हें विदेश में अच्छा कारोबार/नौकरी का लालच देते हैं और वे गुमराह होकर विदेश चले जाते हैं। विदेशी भारत आकर भारतीय लड़कियों से शादी करके उन्हें अपने साथ विदेश ले जाते हैं जहां उनका शोषण किया जाता है। इस कार्य में कुछ असामाजिक तत्व एवं फर्जी कम्पनियां शामिल हैं जो उनका फर्जी पासपोर्ट, वीजा एवं टिकट आदि का प्रबंध कराते हैं।

विगत कुछ वर्षों में मानव तस्करी ने विकराल रूप धारण कर लिया है, यह चौकाने वाला सत्य है। वर्तमान में हजारों लोग विदेशों में कार्य करने के लिए जाते हैं, उनमें से 90 प्रतिशत लोग मिडिल ईस्ट में जाते हैं जिसका मूल कारण इन्हें दिया जाने वाला प्रलोभन होता है। महिलाओं की स्थिति बडी दयनीय है। उनहें एक मुश्त राशि देकर उनकी खरीद-फरोख्त की जाती है और विदेशों में ले जाकर उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है। उदाहरण हेतु मैं बताना चाहती हूं कि विदेश में ऊंटों की दौड़ का आयोजन किया जाता है जिसमें ऊंटों की रफ्तार को बढ़ाने के लिए मासूम बच्चों को उनकी पीठ पर बांध दिया जाता है जितना तेज बच्चा रोता है उतना ही ऊंट तेज गति से दौड़ता है। इस दौड़ में कई मासूमों की मौत तक हो जाती है।

मानव तस्करी, विशेषकर बच्चों की तस्करी आधुनिक गुलामी का एक रूप है और इस जटिल समस्या के समाधान के लिए व्यापक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। यह ऐसी समस्या है जिससे पीड़ितों के अधिकारों एवं उनकी मर्यादा का उल्लंघन होता है, इसलिए उसके उन्मूलन हेतु कार्य करते समय बच्चों के अधिकारों के महत्व पर अनिवार्य रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि ऐसे जघन्य अपराध में लिप्त व्यक्तियों/कम्पनियों की सम्पति व आय के अन्य स्रोतो को शीघ्र प्रभाव से जब्त किया जाए जिससे उनके नेटवर्क को समाप्त किया जा सके। साथ ही भारतीय दण्ड संहिता में बदलाव कर ऐसे कार्य के लिए कठोर से कठोर कानून बनाया जाए। इस कार्य में सरकारी निकायों, गैर सरकारी संगठनों, दबाव समूहों को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी जिससे इस अमानवीय प्रवतन को रोका जा सके।